



## खण्ड का नाम - ऊपरी मांट शाखा, खण्ड गंगा नहर, खुरजा (बुलन्दशहर)

नहर प्रणाली - मांट शाखा प्रणाली

रोस्टर - खरीफ 1424 फसली (वर्ष 2016)

संगठन का नाम - गंगा संगठन

मण्डल का नाम - सिंचाई कार्य मण्डल, मथुरा

Sl No	Crop	Area (Hect)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)			Yield (kg/ha)	Production (mt)		
		Total	Under	Water		Total	Under	Water		Total	Under	Water		Total	Under	Water		Total	Under	Water		Total	Under	Water		Total	Under	Water		Total	Under	Water		Total	Under	Water		Total	Under	Water		Total	Under	Water		Total	Under	Water		Total	Under	Water																
1	Wheat	177.40	177.40	177.40	2086	2086	2086	565	169	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																			

1. जलाशय से जल उपलब्ध होने पर नहरों को चलाया जाना प्रस्तावित है।
2. रोस्टर में जो नहरें चलाई जा रही हैं वह जल उपलब्धता के आधार पर हैं। यदि किसी सप्ताह में अनुमान को अपेक्षा जल उपलब्धता में कमी अथवा अधिकता रहती है तो रोस्टर में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।
3. विगत अनुभव एवं वर्तमान परिस्थितियों में जल कम उपलब्धता के कारण प्रत्येक नहर के अंतिम छोर तक जल पहुंचाना सम्भव न हो सकेगा। यद्यपि, हर सम्भव पूरे प्रयास किये जायेंगे।
4. मां ककोड़ एवं उदारवली लमभाग विगत 20 वर्षों से विस्मर को स्थिति में हैं।
5. उपरोक्त रोस्टर में ऋतु परिवर्तन/नदी/जलाशय में वास्तविक जल की उपलब्धता तथा सिंचाई की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तदनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, जिसके कारण किसी भी सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु सिंचाई विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
6. रोस्टर में दर्शायी गई नहरों के चलने में किसी भी कारण से परिवर्तन होने से, राजवाह/माईनर के किसी भी भाग में जल उपलब्ध न होने की दशा में उपयोक्ताओं को फसल की क्षतिपूर्ति के लिए सिंचाई विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

\* चिह्नित राजवाह/माईनरों में वर्णित लम्बाई तक पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है। मां महेपा 1.80 किमी तक, मां गोठनी 4.60 किमी तक, मां कोलाणा 4.50 किमी तक, मां ऊटसानी 9.60 किमी तक, मां मातव 1.00 किमी तक, मां रनहोरा 3.00 किमी तक, मां करौली 2.00 किमी तक, मां जट्टारी 9.60 किमी तक, मां मादक 7.00 किमी तक, मां गौरौला 2.00 किमी तक, मां करनपुर 3.10 किमी तक, मां गोविन्दपुर 2.63 किमी तक।

अनुमोदित

अधिकांश अधिभयन्ता एवं नोडल अधिकारी गौतमबुद्धनगर      अग्र जिला कृषि अधिकारी गौतमबुद्धनगर      जिला कृषि अधिकारी गौतमबुद्धनगर      मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर      जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर